प्रकरण संख्या 06 / 2025

पीसा वगै0 बनाम राजस्थान सरकार धारा 128 रा0भू राजस्व अधि0

— : : आदेश : :—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 भू0 रा0 अधि0 स्वीकार किया जाकर ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा भू.अ.नि.क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय में स्थित **खाता सं0 576 मे दर्ज खसरा संख्या 3726 रकबा 0.68, खसरा संख्या 3817 रकबा 0.23, खसरा संख्या 3894 रकबा 0.03, खसरा संख्या 3895 रकबा 0.21, खसरा संख्या 3900 रकबा 0.10, खसरा 3902 रकबा 1.57, कुल किता 06 कुल रकबा 2.8200 हैक्टयर** की भूमि की सीमाओं की पत्थरगढ़ी नायब तहसीलदार बान्दनवाडा द्वारा किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। इस बाबत नायब तहसीलदार बान्दनवाडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ संबंधित भू.अ.निरीक्षक बान्दनवाडा एवं संबंधित पटवारी हल्का बान्दनवाडा तहसील भिनाय की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। प्रार्थी पक्ष को आदेशित किया जाता है कि नायब तहसीलदार बान्दनवाडा को मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु आवश्यक साज–सामान उपलब्ध कराया जावे एवं साथ ही राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस, (नायब तहसीलदार बान्दनवाडा को 1000/– व संबंधित भू.अ. निरीक्षक को 700/– एवं संबंधित पटवारी हल्का को 500/–रूपये) अदा करे। नायब तहसीलदार भिनाय प्रार्थी पक्ष द्वारा फीस अदा किये जाने पर सभी पडौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार भिनाय को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)